आज और कल होगी बैठक... 350 डेलिगेट्स, 106 सदस्यीय कार्यसमिति जुटेगी

14 साल बाद रामराजा की नगरी में भाजपा का मंथन, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे

भास्कर न्यूज़ | ओरछा

बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप देने हेमंत खंडेलवाल ओरछा पहुंचे।

श्रीरामराजा सरकार की नगरी ओरछा एक बार फिर प्रदेश की राजनीति का बड़ा केंद्र बनने जा रही है। करीब 14 साल बाद भाजपा अपनी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक ओरछा में आयोजित करने जा रही है।

30 और 31 अगस्त को होने वाली दो दिवसीय बैठक में प्रदेशभर से 350 डेलिगेट्स शामिल होंगे। 106 सदस्यीय प्रदेश कार्यसमिति के अलावा प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और संगठन से जुड़े अन्य प्रमुख पदाधिकारी यहां जुटेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को केवल संगठनात्मक आयोजन नहीं, बल्कि आगामी राजनीतिक चुनौतियों और 2028 विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने वाले बड़े मंथन के रूप में भी देखा जा रहा है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे। मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले दिन रविवार को ओरछा पहुंचेंगे। बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप देने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शनिवार को ओरछा पहुंचे। उनके साथ प्रदेश महामंत्री एवं संभाग प्रभारी गौरव रणदिवे समेत कई प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने स्थानीय संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और जिम्मेदारियां तय कीं।

रतलाम: पुलिया पर पानी, फिर भी पुल से निकल रहे लोग

ताल (रतलाम) | बारिश के बाद ताल-असावती मार्ग की पुलिया पर पानी बहने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर बाइक और पैदल इसे पार कर रहे हैं। स्थानीय कोटवार की समझाइश के बाद भी आवाजाही जारी है। ताल तहसीलदार निर्भयसिंह पटेल ने अपील की है कि उफनती पुलिया को पार न करें, जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। बूड़ा, दलोदा व कुचड़ौद को जोड़ने वाला सीधा मार्ग होने से ग्रामीण जोखिम उठाने को मजबूर हैं।

दो भाइयों ने तीन लोगों पर किया चाकू से हमला

क्राइम रिपोर्टर | भोपाल

रक्षाबंधन पर एक दुकानदार के साथ गाली-गलौच रहे दो भाइयों को टोकना तीन युवकों को भारी पड़ गया। दोनों भाइयों ने युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। एक की हालत गंभीर है। टीटी नगर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

टीटी नगर पुलिस के मुताबिक बाणगंगा बस्ती निवासी गोलू ठाकरे और अशोक ठाकरे शुक्रवार की शाम एक दुकानदार के गाली-गलौच कर रहे थे। वहीं मोहल्ले में रहने वाले मनोज कुमार बिछले, रोहन और अजीत उर्फ भारत भी खड़े थे। मनोज ने समझाया कि त्यौहार के दिन दुकानदार से गाली-गलौच क्यों कर रहे हो। दोनों भाइयों को लगा कि यह लोग दुकानदार का पक्ष ले रहे हैं। इसके बाद तीनों अपने घर की तरफ निकले। गोलू और अशोक पहले निकल गए थे। उन्होंने घर से चाकू निकाला और मनोज पर हमला कर दिया। उसे बचाने रोहन और अजीत पहुंचे तो उन्हें भी चाकू मार दिए। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए।

नेपाल में लापता भोपाल के लोगों की तलाश

भोपाल | नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2 हजार से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित बचाया भी गया है। आशंका है कि मृतकों और लापता लोगों में भोपाल जिले के निवासी भी शामिल हो सकते हैं। इसे देखते हुए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने नेपाल में भोपाल जिले के लापता लोगों की जानकारी जुटाने के लिए एक गूगल लिंक जारी किया है।

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI
(An autonomous organization of Ministry of Education, Govt. of India)
Regional Office, Bhopal
M.I.G.-172/2A, Saket Nagar, Bhopal (MP)-462024

Engagement of Hostel Superintendents on Contract Basis for the Session 2026-27
NVS, Regional Office, Bhopal invites online applications from eligible candidates for engagement of Hostel Superintendents on contract basis in Jawahar Navodaya Vidyalayas for the academic session 2026-27.
Remuneration: ₹35,750/- per month (consolidated)
Essential Qualification:
A-Graduation in any discipline from a recognized University/Institution.
B- Minimum 02 years' experience in Pay Level-3 (₹21,700/-) or above of 7th CPC (or equivalent scale) in any recognized school;
OR
Ex-Defence personnel with minimum 02 years' experience in Pay Level-3 or above of 7th CPC
Age: Above 35 years and below 62 years as on 01.07.2026.
Online Application: 30.08.2026 to 08.09.2026
Apply at: https://www.crschooms.in
Application Fees: Non Refundable Fees @500 per candidate will be charged. However, SC/ST and PH candidates are exempted.
Detailed notification is available at:
https://navodaya.gov.in/nvs/ro/Bhopal/en/home/index.html
Note: Candidates applying for more than one Region may have their candidature rejected. Only shortlisted candidates will be called for Personal Talk.

Sd/-
Deputy Commissioner NVS,
Regional Office, Bhopal

12 सितंबर को इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में होंगे शामिल

मप्र में भर्ती, पेपर लीक, व्यापमं जैसे 50 मुद्दों पर बात करेंगे राहुल गांधी

विशेष संवाददाता | भोपाल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 12 सितंबर को इंदौर में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मप्र की शिक्षा व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े करीब 50 मुद्दों पर छात्रों के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। कांग्रेस का कहना है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह मप्र केंद्रित होगा, जिसमें व्यापमं, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक, पटवारी भर्ती परीक्षा, एमपीपीएससी, एआई परीक्षा, सरकारी विभागों में रिक्त पद और रोजगार जैसे विषयों को प्रमुखता से रखा जाएगा। इसके अलावा ऐसे सभी मुद्दे शामिल होंगे, जिनको लेकर छात्रों और अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार आरोप लगाए जाते रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी छात्रों और युवाओं से सीधा संवाद भी करेंगे।

कार्यक्रम की तैयारियों के लिए दिल्ली से शनिवार को एक टीम इंदौर पहुंची और बैठक की। इसमें टीम ने इशारा किया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से मप्र के मुद्दों पर फोकस रहेगा। कार्यक्रम के लिए बीते दो दशक में भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ियों, पेपर लीक, व्यापमं भर्ती, पटवारी परीक्षा, एआई परीक्षा, सरकारी विभागों में रिक्त पद जैसे मुद्दों पर पीपीटी तैयार की जा चुकी है।

2 सितंबर को इंदौर में रखी बड़ी बैठक

कार्यक्रम को लेकर एक बड़ी बैठक 2 सितंबर को इंदौर में रखी गई है। इसमें प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, संगठन महासचिव डॉ. संजय कामले, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बौरासी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष यश घनघोरिया और एनएसयूआई अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के साथ जिला कांग्रेस कमेटी इंदौर शहर व ग्रामीण के पदाधिकारी शामिल रहेंगे। इसकी तैयारी तेजी से चल रही है।

38 करोड़ का सरदार पटेल ओवरब्रिज 8 साल में ही हुआ खस्ताहाल

दमोह | दमोह में 38 करोड़ रुपए की लागत से 2018 में बना 865 मीटर लंबा सरदार पटेल रेलवे ओवरब्रिज 8 साल भी पूरे नहीं कर पाया और बदहाली का शिकार हो गया। शनिवार को भास्कर पड़ताल में ब्रिज पर जगह-जगह खतरनाक गड्ढे और बाहर निकले सरिया मिले। 2021 और 2025 में हुए पेचवर्क भी उखड़ चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि दुर्दशा की जांच के लिए तत्कालीन कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा गठित टीम 8 महीने बीत जाने के बाद भी धरातल पर जाँच करने नहीं पहुँची। वहीं दूसरी ओर पुराना पथरिया फाटक ओवरब्रिज आज भी पूरी मजबूती से टिका हुआ है।

महाकाल की सवारी में पहली बार रोबोट भी रहेगा, आरती करेगा

राजेश पांचाल | उज्जैन . महाकालेश्वर की पांचवीं और भादौ माह की पहली सवारी 31 अगस्त को निकलेगी। इसमें पहली बार सामाजिक संस्थाओं की ओर से एक रोबोट शामिल किया जाएगा। मंदिर समिति की अनुमति से शामिल होने वाला रोबोट रामघाट पर पालकी पहुंचने पर शिव धुन सुनाएगा और आरती में भी शामिल होगा। इसे कुछ दूरी तक सवारी के साथ चलाया जाएगा। मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक के अनुसार रोबोट इंदौर की निजी कंपनी ने बनाया है। इसे भीड़ में चलने और अव्यवस्था होने पर कंट्रोल रूम को स्वत: सूचना भेजने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सवारी के बाद इसके प्रदर्शन का फीडबैक लिया जाएगा। सफल रहने पर आगामी सवारियों और सिंहस्थ में इसका उपयोग किया जा सकता है।

16वां वित्त आयोग • 32 हजार करोड़ रुपए के खर्च की शर्तें तय

पंचायत 'माननीयों' के मानदेय, टीए-डीए व समारोह पर रोक

भास्कर न्यूज़ | भोपाल

16वें वित्त आयोग से अगले पांच साल में मप्र को मिलने वाले 32 हजार करोड़ रुपए से अधिक के फंड के खर्च की शर्तें तय हो गई हैं। जिला-जनपद पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और सरपंच इस राशि से भत्ते-मानदेय, गाड़ियां, एसी और टीए-डीए पर खर्च नहीं कर सकेंगे। अभिनंदन समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सजावट, विज्ञापन और उद्घाटन कार्यक्रमों पर भी राशि खर्च नहीं होगी। बेसिक ग्रांट का इस्तेमाल सीधे जनता से जुड़े कामों पर करना होगा।

इस साल प्रदेश को 4415 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें 1766 करोड़ पेयजल और स्वच्छता पर खर्च होंगे। इसी राशि से जल जीवन मिशन की सिंगल विलेज योजना के संचालन और रखरखाव की तैयारी है।

फंड ऐसे बंटेगा

- कुल राशि का 80% बेसिक फंड होगा। इसके आधे हिस्से का उपयोग जल और स्वच्छता पर होगा। बाकी आधी राशि 29 तरह के कामों पर खर्च की जा सकेगी। इनमें गोशाला, सड़क, पुलिया, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, स्कूल, सामुदायिक भवन, शासकीय आवास, हाट-बाजार, कम्प्यूटर-प्रिंटर, वाई-फाई, ओपन जिम, वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट शामिल हैं।
- बाकी 20% राशि परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगी। जनपद की कम से कम 75% ग्राम पंचायतें पात्र होने पर ही यह राशि मिलेगी। तीनों स्तरों को 'सबकी योजना, सबका विकास' थीम पर काम करना होगा।

अब पंचायतें वॉटर टैक्स भी भरेंगी : सिंगल विलेज स्कीम के संचालन का खर्च पंचायतें आयोग की निधि से उठाएंगी। वॉटर टैक्स भी पंचायतों को भरना होगा। लोगों से पानी का शुल्क वसूलने का मॉडल भी पंचायतें तैयार करेंगी।

भास्कर APPOINTMENT

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, खरगोन
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
(Under Ministry of Education, Govt. of India)
कसरावद रोड, खरगोन, मध्य प्रदेश 451001
Kasrawad Road, Khargone, Madhya Pradesh - 451001
दूरभाष : +91 99931 80324, ईमेल : principalkvikhargone@gmail.com, वेबसाइट : khargone.kvs.ac.in
CBSE Affiliation No.: 1000030, Email : principalkvkhargone@gmail.com | CBSE School Number: 54107 | KV Code: 1119 | KV Station Code - 069
एफ 42/03/1119 / के.वि. खरगोन / 2026-27/484 दिनांक : 29-08-2026

साक्षात्कार : दिनांक 08 सितम्बर 2026
(WALK IN INTERVIEW ON 08 September 2026)

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खरगोन में सत्र 2026-27 के लिए रिक्त पदों पर पूर्णतः अंशकालिक संविदा आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति एवं पैनल तैयार करने हेतु दिनांक 08 सितम्बर 2026 को टीजीटी - संस्कृत, टीजीटी-अंग्रेजी, प्राथमिक शिक्षक, पी जी टी कॉमर्स, शैक्षणिक परामर्शदाता, डाटा एंट्री ऑपरेटर (साक्षात्कार के पश्चात डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति आउट सोर्स एजेंसी के माध्यम से की जाएगी), के लिए प्रातः 10:00 बजे से साक्षात्कार आयोजित होंगे। इच्छुक उम्मीदवार नियत तिथि को प्रातः 08:00 बजे विद्यालय परिसर में आवश्यक शैक्षणिक आदि योग्यताओं के मूल प्रमाण पत्रों एवं उनकी स्वसत्यापित छाया प्रति के साथ उपस्थित रहें।

अभ्यर्थी सभी पदों की अर्हता (शैक्षणिक योग्यता) एवं अधिक जानकारी हेतु पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खरगोन की ऑफिशियल वेबसाइट http://khargone.kvs.ac.in का अवलोकन करें। सभी अभ्यर्थियों को संविदा साथी पोर्टल (https://samvida-sathi.kvs.gov.in) पर साक्षात्कार पूर्व अपना पंजीयन करना भी अनिवार्य है।

प्राचार्य
पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खरगोन
जिला खरगोन (म.प्र.)

नीमच : मृत्यु के बाद जावद के दंपती ने लिया देहदान का संकल्प

नीमच | जावद के सेवानिवृत्त मैनेजर सत्यनारायण राठी (83) और उनकी पत्नी शांतिबाई (77) ने मृत्यु के बाद देहदान का संकल्प लिया है, ताकि उनका शरीर मेडिकल छात्रों के अध्ययन और शोध में काम आ सके। अपनी चारों बेटियों- सूरज, सरोज, संतोष और अंतिमबाला की प्रेरणा से दंपती ने यह निर्णय लिया। भारत विकास परिषद के रीजनल सचिव प्रदीप चौपड़ा, पूर्व अध्यक्ष निरंजन गोयल, शाखा अध्यक्ष महेश सोनी और सचिव दीपेश जोशी की उपस्थिति में संकल्प-पत्र भरा गया।

केनरा बैंक Canara Bank A Govt. of India Undertaking | सिंडिकेट Syndicate
केनरा बैंक, स्पेशलाइज्ड, ए.आर.एम. शाखा, प्लाट नं. 4, पीएसपी एरिया, एम्स के पास, साकेत नगर, भोपाल फोन : 8989014648
ई-नीलामी सूचना

परिशिष्ट - IV क [नियम 8(6) एवं 9 का परन्तुक देखें]
चल/अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के अन्तर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

आम जनता को साधारणतः एवं निम्न वर्णित अचल संपत्तियों के ऋणियों एवं जमानतदारों को विशेषतः सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित संपत्तियाँ **केनरा बैंक (सुरक्षित लेनदार)** के पास बंधक है तथा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित संपत्तियों का उसके **कब्जा** ले लिया गया है। निम्नवर्णित संपत्तियों का विक्रय दिनांक **25/09/2026** को **केनरा बैंक (सुरक्षित लेनदार)** के बकाया राशि को वसूल करने हेतु ''जैसा है जहां है, जो है जैसा है'' एवं ''जो कुछ भी है'' के आधार पर किया जा रहा है।

शाखा एवं खाते/ जमानतदार का नाम	संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति मालिक का नाम	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक / बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड बढ़ाने की राशि
मैसर्स बिर्च पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर्स: 1.श्री संजय कुमार महातम पुत्र महातम देवेन्द्र सिंह 2. श्रीमती प्रिया दंडक पत्नि श्री राहुल दंडक एवं अतिरिक्त डायरेक्टर- 3. श्री दिलीप सिंह गोयल पुत्र समंदर सिंह गोयल जमानतदार: 4. श्री विजय कुमार दंडक पुत्र मन्नू सिंह दंडक	भूमि एवं डायवर्टेड भूमि स्थित सर्वे नं. 529/1, पैकी, ग्राम कोडिया, पटवारी हल्का नं. 12, तहसील महू, जिला इंदौर, म.प्र. (453661), क्षेत्रफल: 0.419 हेक्टेयर डीड के अनुसार चर्तुसीमाएँ: पूर्व: परमानंद पाटीदार की भूमि, पश्चिम: जाफराबाद-कोडिया ग्रामीण मार्ग, उत्तर: सुरेश दंडक की भूमि, दक्षिण: सर्वेक्षण संख्या 529/1 का शेष **संपत्ति मालिक- मैसर्स बिर्च पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड** एवं मशीनरी स्थित सर्वे नंबर 529/1 पैकी कोड़िया गाँव पटवारी हल्का नं. 12, तहसील महू, ज़िला इंदौर, म.प्र. - 453661 मशीनरी के विवरण के लिए कृपया वेबपोर्टल http://BAANKNET.com देखें अथवा शाखा से निम्नवर्णित टेलीफोन नं. पर सम्पर्क करें। BAANKNET PROPERTY ID: CNRBBIRCHPAPER COORDINATES: 22.441027, 75.619159 भौतिक कब्जा	17.09.2025 / 08.12.2025 / दि. 29/08/2026 को ₹ 3,33,56,483.62 +देय ब्याज एवं खर्चे	₹ 2,76,00,000/- / ₹ 27,60,000/- / ₹ 10,000/-

धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि 24/09/2026 या उससे पूर्व सायं 5.00 बजे तक
ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : 25/09/2026, दोपहर 12.00 से दोपहर 2.00 बजे तक (5 मिनिट के असीमित विस्तार पर)

(1) इच्छुक बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य की 10% अग्रिम राशि (ईएमडी) सीधे मेसर्स पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड (baanknet.com) पोर्टल के ई-वॉलेट में जमा करनी होगी या चालान जनरेट करके बोली जमा करने की उपरोक्त तिथि को उक्त चालान में उल्लिखित खाता विवरण में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी जमा करनी होगी।
(2) सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) उसके पक्ष में बिक्री होने के तुरंत बाद जमा करना होगा और शेष राशि बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। यदि सफल बोलीदाता उपरोक्त अनुसार बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
(3) सभी शुल्क, स्टांप शुल्क/जीएसटी पंजीकरण शुल्क आदि, जैसा लागू हो और कोई भी कर, राजस्व/किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को बकाया आदि केवल सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
(4) जहां संपत्ति का विक्रय राशि रु. 50 लाख या उससे ऊपर हो उस परिस्थिति में नीलामी खरीददार को विक्रय राशि का 1% टी.डी.एस. का भुगतान करना होगा तथा टीडीएस सर्टिफिकेट की मूल प्रति बैंक में जमा करनी होगी।
विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु वेबपोर्टल http://BAANKNET.com देखें अथवा सम्पर्क करें- मुख्य प्रबंधक, केनरा बैंक, स्पेशलाइज्ड, ए.आर.एम. शाखा, प्लाट नं. 4, पीएसपी एरिया, एम्स के पास, साकेत नगर, भोपाल 8989014648, 8057766078, 9691096410, 9123403299 (भोपाल), 7905027805 (जबलपुर एवं बिलासपुर), 7683068902 (रायपुर), 9140476074 (ग्वालियर), 9830130770 (इंदौर), 8073562754 (BHOPAL)
दिनांक : 29/08/2026, स्थान : भोपाल प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक

नवोदय विद्यालय समिति
शिक्षा मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (म०प्र०)
एम.आई.जी. 172/2ए, साकेत नगर भोपाल-(मप्र) 462024
अनुबंध आधार पर परामर्शदाताओं की सत्र 2026-27 के लिए नियुक्ति

नवोदय विद्यालय समिति के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य में संचालित जवाहर नवोदय, आवासीय सह-शिक्षा विद्यालयों में अनुबंध के आधार पर परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया नवोदय विद्यालय समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल की वेबसाईट https://navodaya.gov.in/ अथवा आवेदन पोर्टल - https://www.crschooms.in का अवलोकन करें
ऑनलाईन आवेदन निम्न लिंक के माध्यम से किए जा सकते है - https://www.crschooms.in
मानदेय :
मासिक समेकित पारिश्रमिक रुपये 44,900/-
अनिवार्य योग्यता
(अ) शैक्षणिक योग्यता
1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री (एम०ए०/एम०एस०सी०)
2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मार्गदर्शन और परामर्श में एक वार्षीय डिप्लोमा
(ब) अनुभाव
किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थानों में मार्गदर्शन और परामर्श/परामर्श में कम से कम एक वर्ष का अनुभव।
आयु - 1 जून 2026 तक 28 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक न हो।
आवेदन शुल्क: गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क रु० 500/ प्रति उम्मीदवार शुल्क लिया जाएगा। एस.सी./एस.टी / और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क की छूट दी गई है।
ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि
योग्य उम्मीदवार 30.08.2026 से 08.09.2026 तक ऑनलाईन लिंक https://www.crschooms.in अथवा नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाईट https://navodaya.gov.in/ माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
आवेदन के समय अथवा नियुक्ति के उपरांत, यदि यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों में आवेदन किया है तो उसकी पात्रता / नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है।
नोट: केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

Sd/-
उपायुक्त नवोदय विद्यालय समिति,
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उपक्रम
जबलपुर अंचल कार्यालय: राईट टाउन, जबलपुर फोन: 0761-2480065, 67, 68
ई- नीलामी द्वारा विक्रय हेतु आम सूचना

सरफेसी अधिनियम 2002 तथा सहपठित नियम 8(6) of 2002 के अंतर्गत की नीलामी के द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बंधक अचल संपत्ति के विक्रय की सूचना

इस आम सूचना के द्वारा बैंक के अनर्जक खातेदार, जमानतदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल संपत्तियाँ जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बंधक हैं तथा जिन का कब्जा (सांकेतिक/प्रत्यक्ष) प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत लिया जा चुका है। यह संपत्तियाँ "जहाँ है जैसी है" "जैसा है जो है" "जहां भी है" तथा "दायित्व रहित" आधार अनर्जक खातों में ऋण की वसूली हेतु दिनांक 15.09.2026 को ई नीलामी द्वारा विक्रय की जाएंगी | अनर्जक खाते, खाताधारक, जमानतदार, बैंक पर बकाया धनराशि, ऑनलाइन नीलामी द्वारा विक्रय की जाने वाली संपत्ति का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी में किसी तरह का संपत्ति पर भार, संपत्ति पर कब्जे का प्रकार, विक्रय की धनराशि (RESERVE PRICE), नीलामी में भाग लेने हेतु जमा की जाने वाली पूर्व धनराशि (EMD AMOUNT) इत्यादि की जानकारी निम्नलिखित है-

ऋणी/जमानतदार का नाम एवं पता	बकाया राशि जिसकी वसूली हेतु संपत्ति विक्रय की जा रही है	संपत्ति का विवरण	कब्जा का प्रकार	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि की राशि
1) शाखा - आस्ति वसूली शाखा, जबलपुर मेसर्स श्री नाकोडा जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री अपने निदेशकों/ गारंटरों/ एलआर के माध्यम से 1. श्री सुशील दोशी, 2. श्री प्रेमचंद दोशी 3. श्री सावन दोशी 4. श्री आनंद दोशी (मृतक) अपने एलआर श्रीमती पूजा के माध्यम से जैन और पहल जैन 5. श्री मृदुल दोषी गारंटर - 1. श्री सुशील पुत्र श्री अमोलकचंद दोशी 2. श्री प्रेमचंद पुत्र अमोलकचंद दोषी 3. श्री सावन पुत्र प्रवीण दोशी 4. श्री आनंद पुत्र प्रकाश जैन (मृतक) अपने कानूनी उत्तराधिकारी श्रीमती पूजा जैन और पहल जैन (प्राकृतिक गुरुडियन - पूजा जैन) के माध्यम से 5. श्री मृदुल पुत्र सुशील दोशी 6. श्री अमोलकचंद पुत्र गुलाबचंद दोशी (मृतक) इसके एलआर श्री सुशील कुमार, प्रकाश चंद और प्रेमचंद के माध्यम से 7. श्रीमती हुकुमबाई पत्नी श्री अमोलकचंद दोशी (मृतक) इसके एलआर श्री सुशील कुमार, प्रकाश चंद और प्रेमचंद के माध्यम से 8. श्रीमती चंद्रकांता पत्नी स्वर्गीय श्री प्रवीण कुमार 9. श्री प्रकाश पुत्र श्री अमोलकचंद दोषी 10. श्रीमती पानकुंवर बाई पत्नी श्री सुशीलकुमार दोशी 11. श्रीमती ममताबाई पत्नी श्री प्रेमचंद दोशी 12. श्री प्रवीण पुत्र अमोलकचंद दोशी सभी निवासी- ग्राम: पडलिया, करही के पास, तहसील: महेश्वर, जिला खरगोन (म.प्र.)	Rs.18,77,43,542/- + Unapplied interest on contractual rate w.e.f. 01.11.2019 + penal interest thereon and other charges and expenses	पी.एच नं.56, सर्वे नं. 56/1/1, ग्राम पाडल्या खुर्द, तहसील महेश्वर जिला खरगोन क्षेत्रफल 0.30 हेक्टेयर। मालिक: श्रीमती चंद्रकांता पत्नी प्रवीण कुमार दोषी, श्री सावन पुत्र प्रवीण कुमार दोषी और श्रीमती सोनम पत्नी पीयूष कुमार दोषी	Symbolic	Rs.9690000/- / Rs.969000/- / Rs.10000/-
		भूखंड (मकान) संख्या पर निर्मित भूमि और भवन के सभी टुकड़े। 270, पाडल्या खुर्द, तहसील महेश्वर जिला. खरगोन का क्षेत्रफल 235.79 वर्ग मीटर है। मालिक: श्री प्रकाश चंद्र, श्री सुशील, श्री प्रीमचंद, सुश्री विजया, श्रीमती चंद्रकांता, श्री गौरव, अमन और सुश्री प्रियल।	Symbolic	Rs.5227000/- / Rs.522700/- / Rs.10000/-
		पी.एच. न. 57, (पुराना पीएच एन. 56) क्र.सं. 3/11 एवं क्र.सं. 3/10 ग्राम आखीपुरा, तहसील महेश्वर जिला। खरगोन.क्षेत्रफल 0.675+0.659 हेक्टेयर। कुल क्षेत्रफल - 1.334 हेक्टेयर @ 13340.00 वर्गमीटर। मालिक: श्री प्रकाश चंद्र, श्री सुशील, श्री प्रीमचंद, सुश्री विजया, श्रीमती चंद्रकांता, श्री गौरव, अमन और सुश्री प्रियाल	Symbolic	Rs.14174000/- / Rs.1417400/- / Rs.10000/-
2) शाखा - आस्ति वसूली शाखा, जबलपुर उधारकर्ता - मेसर्स गुरुकृपा डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स, इसके स्वामी श्री नरेंद्र हम्माद (मृतक) पुत्र श्री लक्ष्मण हम्माद के माध्यम से, इसके पिता के माध्यम से (1) श्रीमती पूजा हम्माद पत्नी स्वर्गीय श्री नरेंद्र हम्माद (2) मास्टर पूर्वांश हम्माद (नाबालिग) पुत्र स्वर्गीय श्री नरेंद्र हम्माद (अपने प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती पूजा हम्माद पत्नी स्वर्गीय श्री नरेंद्र हम्माद के माध्यम से) पता - प्लॉट संख्या 7 से 11, औद्योगिक क्षेत्र, सेगांव, बड़वानी, तहसील एवं जिला बड़वानी गारंटर: श्री लक्ष्मण हम्मद पुत्र श्री धनजी हम्मद पता - मकान संख्या 401, गाँव: बालकुआं, तहसील एवं जिला: बड़वानी	Rs.2,43,79,247/- (Rupees Two Crore Fourty Three Lakh Seventy Nine thousand Two Hundred Fourty Seven only) (Ledger Bal: Rs.2,43,79,247/- + Unapplied Interest @ 13.45% p.a. with monthly rate w.e.f. 07.10.2016 + penal interest and other charges / expenses	व्यपवर्तित भूमि और उस पर निर्माण, सर्वेक्षण क्रमांक 105/3, पी.एच. क्रमांक 09 (नया क्रमांक 23), ग्राम बालकुनवां, तहसील एवं जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश में स्थित कुल क्षेत्रफल - 0.089 हेक्टेयर (890 वर्ग मीटर) स्वामित्व: श्री लक्ष्मण हम्माद पुत्र श्री धनाजी हम्माद	Symbolic	Rs.1755000 / EMD: 175500/- / Rs.10000/-

बोलीदाता द्वारा संपत्तियों का निरीक्षण: 10.09.2026 से 11.09.2026 तक, सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच
बोली आवेदन/केवाईसी दस्तावेज़/ईएमडी आदि जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 15.09.2026 से सुबह 11:00 बजे तक
10 मिनट के लिए स्वतः विस्तार के साथ ई-नीलामी की तिथि और समय: 15.09.2026, सुबह 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच।

नीलामी बिक्री वेबसाइट https://baanknet.com, email: support.baanknet@psballiance.com. Mob.- 8291220220 पद के माध्यम से ऑन-लाइन ई-नीलामी /बोली होगी। इच्छुक बोलीदाताओं /खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके पोर्टल पर पंजीकरण करें। कृपया ध्यान रखें कि पंजीकरण और केवाईसी अनुमोदन आदि में 2-3 कार्य दिवस लगते हैं। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया https://bankofmaharashtra.bank.in/asset&for&sales&search और https://baanknet.com पद पर दिए गए लिंक को देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता अधिकृत अधिकारियों Contact details: Incharge Recovery Jabalpur Shri Onkar Kumar (Zonal Manager) - 9823296164, Shri Nikhil S Patil (DZM) - 7387211200, Shri Bhushan Mohite (CM Recovery - Z.O.) - 9923257090, Dr. Ravikumar Verma (Sr. Manager) (9300955688) & Shri Hariom Trivedi (CM & Authorised Officer) - 9405719723 से भी संपर्क कर सकते है।
Note - The sales are subject to the order/outcome of any case pending/filed if any before Court/Tribunal

ऋणकर्ता/गारंटर/कानूनी उत्तराधिकारी/सहभागी को बिक्री सूचना
उपरोक्त को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत 15 दिनों की सूचना माना जाएगा।
दिनांक- 30/08/2026 प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जबलपुर अंचल